COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(80)

म.प्र. रेवेन्यू बोर्ड, ग्वालियर

न्यायालय ~~कलेक्टर जिला मंदसौर म.प्र.~~

R 1373-PB-2017 प्रक0 /2017

PTAC
श्री एम.के. गांधी
अभिभाषक द्वारा
6-2-2017

सुरजकुमार पिता हजारीलाल जी बाकलीवाल
निवासी– नई आबादी पेट्रोल पंप के पास
अफीम गौदाम रोड मन्दसौर ---- प्रार्थी

बनाम

1. अशोक कुमार पिता मूलचंद माली
2. शांतिबाई पति मूलचंद जी माली
3. तुलसीराम पिता मूलचंद जी माली
4. गोपाल पिता मूलचंद जी माली

समस्त निवासी हजारी कालोनी
रामटेकरी मन्दसौर

5. रतनलाल पिता हजारीलाल जी मृत ---- विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भुराजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 16/1/2017 न्यायालय तहसीलदार मन्दसौर प्रक0 3–अ–70/15–16

डाक से प्राप्त
2.5.17

माननीय महोदय,

निगरानी प्रार्थी अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर अवधि में निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

–: प्रकरण के तथ्य :–

/1/ यह कि विपक्षी कं. 1 लगायत 4 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं. न्यायालय तहसील मंदसौर में प्रस्तुत किया। ~~प्रार्थीगण की~~ यह वाद है कि उन्होने उनके भूमि स्वामी स्वत्व एंव आधिपत्य की भूमि का सीमांकन करवाया तो यह विदित हुआ कि प्रार्थी ने जो प्लाट काटे है वे विपक्षी कं. 1 लगायत 4 के भूमि स्वामी स्वत्व की भमि सर्वे कं. 1149 व 1150 में स्थित है। विपक्षी कं. 1 लगायत 4 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह सहायता चाही है कि मौके पर जो निर्माण हुआ है

Advocate

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1373-पीबीआर/17 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	